एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2927/2002
इंजीनियरिंग लघु उघोग एम्पलाईज यूनियन, अजमेर
बनाम
दी रीजनल प्रोवीडेन्ट फण्ड कमिश्नर व अन्य

20.2.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री राजीव बन्धु, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री एन.एस.यादव, अधिवक्ता अयाची सं.1 व 2 की ओर से।
श्री आर.के.काला, अधिवक्ता अयाची संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय द्वारा:

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

यघपि बहस के दौरान पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रकरण के गुणावगुण पर भी अपनी ओर से तर्क प्रस्तुत किये हैं, परन्तु मेरे मत में इस प्रकरण का निस्तारण बिना गुणावगुण पर एक सीमित आधार पर ही किया जा सकता है।

याची ने इस याचिका में सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रवर्तन) अजमेर वृत्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को चुनौती दी है। उक्त आदेश के द्वारा याची के रिव्यु प्रार्थनापत्र दिनांक 8.11.2001 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र फार्म नम्बर 9 के प्रोफार्मा में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये प्रार्थनापत्र धारा 7बी के तहत दुबारा सुनवाई के लिये फिट नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान फार्म नम्बर 9 की ओर आकृष्ट किया। उक्त फार्म के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दी एम्पलोईज प्रोवीडेन्ट फण्डस एण्ड मिसलेनियस प्रोवीजन्स एक्ट, 1952 की धारा 7बी की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र उसमें विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में मैं यह उचित समझता हूं कि सक्षम अधिकारी याची के पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र का गुणावगुण पर निस्तारण करे, न कि किसी तकनीकी आधार पर क्योंकि ऐसा किया जाना याची को विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित करना होगा।

अयाचीगण के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि याची द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र का निस्तारण मात्र इसी तकनीकी आधार पर नहीं किया गया है बल्कि उसे गुणावगुण पर भी निरस्त किया गया है।

विवादित आदेश दिनांक 21.12.2001 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याची की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र को उक्त आधार पर निरस्त करने के साथ मात्र एक पंक्ति यह भी लिखी गयी है कि याचीगण द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे मत में जब विधायिका के द्वारा याचीगण को ऐसा उपचार प्रदत्त किया गया है तो सक्षम अधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे याची के पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र का गुणावगुण पर निस्तारण करते समय विस्तृत न सही किन्तु सकारण आदेश पारित करते। परन्तु इस प्रकरण मे मैं यह पाता हूं कि उन्होनें कोई स्पष्ट आधार याची के पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र को निरस्त करने हेतु नहीं दिया है।

अत: विवादित आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को भविष्य निधि आयुक्त को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। याचीगण इस निर्णय से एक माह की अवधि में फार्म नम्बर 9 में पुनरावलोकन आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सक्षम अधिकारी ऐसे आवेदन का निस्तारण उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात यथाशीघ्र करेंगे। यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति